169/XV - 04.06.2020

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।

दिनांक 04.06.2020

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/ Allahabad/ Dated: 03 June 2020 के अनुपालन में दिनांक 08.06.2020 से जनपद न्यायालय गाजीपुर के सभी न्यायालयों में उक्त वर्णित पत्र में दिये गये निर्देशों के अधीन न्यायिक कार्य संपादित किये जाने हेतु न्यायालयों को खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

सभी न्यायालयों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र सं0 484/इन्फ्रा सेल इलाहाबाद दिनांकित 30 मई 2020 में दिये गये वादों को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई हेतु कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

अण्डर ट्रायल बन्दियों का रिमाण्ड सम्बन्धित कार्य विडियो कान्फ्रेन्सिग अथवा JITSI साफ्टवेयर के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा।

नये वाद/प्रार्थना पत्र केन्द्रीयकृत कम्प्यूटर कक्ष में प्राप्त किये जायेंगे। प्रार्थना पत्रों पर विद्वान अधिवक्ता का पूर्ण विवरण मय मोबाइल नम्बर अंकित होगा जिससे कोई कमी होने पर सम्बन्धित अधिवक्ता को सूचित किया जा सके।

जनपद न्यायालय की ई–मेल पर भी जमानत प्रार्थना पत्र/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र व लिखित बहस वैकल्पिक आधार पर प्रेषित किये जा सकते हैं।

सभी न्यायालय कक्षों में 4 कुर्सियॉं पर्याप्त दूरी पर इस प्रकार से रखी जायें जिससे कि उचित सोशल डिस्टेंन्सिग कायम रखी जा सके। न्यायालय कक्ष में सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करना होगा तथा न्यायालय कक्ष के मुख्य गेट पर सेनीटाइजर का प्रबंध किया जायेगा। न्यायालय के रीडर व लिपिक आदि कर्मचारीगण भी सोशल डिस्टेंन्सिग गाइडलाइन्स का पालन करेंगें।

न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी पक्षकार/विद्वान अधिवक्तागण की एक समय में न्यायालय कक्षों में कम से कम उपस्थिति के लिए समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगें तथा आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय कक्ष में अतिरिक्त व्यक्तियों का प्रवेश बन्द कर सकते हैं, जिससे सोशल डिस्टेंन्सिग का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश शासन व केन्द्रीय सरकार द्वारा कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगें।

अतः दिनांक 08.06.2020 से जनपद न्यायालय गाजीपुर के सभी न्यायालय व कार्यालय खोले जायेंगें, इसलिए जनपद न्यायालय में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारीगण व तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण अपने–अपने न्यायालय व कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अपना–अपना कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य पत्रांक सं0 1117 दिनांकित 03.06.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

सभी संबंधित सूचित हों।

Raghvendra 4/6/20

जनपद न्यायाधीश
गाजीपुर।

दिनांक 04.06.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण मुख्यालय व बाह्य स्थित न्यायालय सैदपुर व मुहम्मदाबाद।
2. समस्त अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन गाजीपुर व बाह्य स्थित न्यायालय सैदपुर व मुहम्मदाबाद।
3. सिस्टम ऑफिसर गाजीपुर को जनपद न्यायाधीश गाजीपुर के वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु।
4. जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।
5. पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजीपुर।
7. सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को राष्ट्रीय समाचार पत्र /स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
8. जेल अधीक्षक, गाजीपुर।
9. केन्द्रीय नाजिर को नोटिस बोर्ड व बार एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

जनपद न्यायाधीश
गाजीपुर।

दिनांक 04.06.2020

Scanned with CamScanner